

06.4.21 प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित।
प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की प्रकरण की
पैरवी हेतु न्यायालय समय में अलग-
अलग तीन बार आवाज लगाई गई।
अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं बचपूद
सूचना अनुपस्थित रहे। अतः प्रार्थी का
यह प्रार्थना पर अदम टाजरी एवं अदम
पैरवी प्रार्थी खारिज किया जाता है।
पत्रवली कैसल शुमार होकर नंबर से
कम हैं व दाखिल दफतर में।

जिला कलक्टर
बाड़मेर